

प्रेस नोट दिनांक 03.11.2020

1. दिनांक 02.11.20 को वादी उ०नि० श्री कन्हैया यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बरखू निषाद पुत्र रामलाल नि० सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 607/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.11.20 को वादी श्री सूर्यपाल वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा नि० कर्मा कोडरी थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 65 एआर 5419 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कार में टक्कर मार देना जिससे वादी के साले को गम्भीर चोटे आना तथा इलाज के दौरान मृत्यू हो जाना व कार का क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 469/20 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 02.11.20 को वादी श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला थानाध्यक्ष तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम उदित वर्मा पुत्र मिल्हू वर्मा नि० फखरपुर थाना तारून अयोध्या गिर० अभियुक्त द्वारा माननीय न्याया० के जिलाबदर होने के आदेश का उल्लंघन करते हुए घर पर मौजूद रहना जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 434/20 धारा 10 गुण्डा अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 02.11.20 को वादी श्री नीरज कुमार सिंह प्र०नि० कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० अकबाल पुत्र स्व० गफफार नि० पूरे अचली थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी गिर० अभि० के कब्जे से 02 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 306/20 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 02.11.20 को वादी श्री नीरज कुमार सिंह प्र०नि० कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अब्दुल रहमान पुत्र बाबुल अली नि० दतिया बदलगढ बाजार शुक्ल जनपद अमेठी गिर० अभि० के कब्जे से 02 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 307/20 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 02.11.20 को वादी श्री मंशाराम रावत पुत्र रामअधार नि० नेवाजपुर थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बदलू पुत्र महाराजदीन नि० नेवाजपुर थाना मवई अयोध्या अभि० द्वारा वादी गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 459/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।